राम बिराजी देवी और एक अन्य

बनाम

उमेश कुमार सिंह और एक अन्य

11 मई, 2006

[अशोक भान और लोकेश्वर सिंह पंत, न्यायमूर्तिगण]

*दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—शिकायत/प्राथमिकी को अभिखंडित करना—भूमि के विक्रय और क्रय के संबंध में विवाद—भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 419, 420 और 120-बी के अंतर्गत शिकायत जिसमें यह अभिकथन है कि विक्रेता ने प्रतिफल राशि स्वीकार करने के पश्चात शिकायतकर्ता-क्रेता को भूखंड हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया —दंडाधिकारी द्वारा लिया गया संज्ञान—संज्ञान को अभिखंडित करने की मांग करते हुए धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत याचिका—उच्च न्यायालय द्वारा खारिज—अपील पर अभिनिर्धारित: विवाद पक्षकारों के बीच दीवानी दायित्व की प्रकृति का है—शिकायतकर्ता-क्रेता द्वारा विक्रेता के विरुद्ध कोई* **प्रथम दृष्टया** *मामला नहीं बनाया गया था जिसमें उन्हें अभिकथित अपराध के कारित किए जाने में शामिल किया गया हो—दंडाधिकारी द्वारा लिया गया संज्ञान न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग था—यह चरम अपवाद का मामला है जहां उच्च न्यायालय को प्राथमिकी को अभिखंडित करने के लिए अपनी अंतर्निहित अधिकारिता और शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था—इस प्रकार, शिकायत और लिए गए अपराध का संज्ञान अभिखंडित किए जाने योग्य है—दंड संहिता, 1860—धाराएं 406, 419, 420 और 120-बी।*

*ट्रायसंस केमिकल इंडस्ट्री बनाम राजेश अग्रवाल व अन्य,* **[1999] 8 एस.सी.सी. 686, विभेदित।**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2006 की आपराधिक अपील सं. 632।

पटना उच्च न्यायालय के 2004 की आपराधिक विविध सं. 11930 में 13.1.2005 की तिथि के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ताओं के लिए सुश्री अपर्णा झा के लिए ब्रज किशोर मिश्र।

उत्तरदाताओं के लिए तारकेश्वर नाथ, पी.के. मिश्र, के.के. राय, रंजन, के. पाण्डेय और गोपाल सिंह।

न्यायालय का आदेश जिनके द्वारा सुनाया गया

**लोकेश्वर सिंह पंत, न्यायमूर्तिः** विशेष अनुमति दी गई।

यह अपील पटना उच्च न्यायालय द्वारा 2004 की आपराधिक विविध सं. 11930 में 13.1.2005 की तिथि को पारित निर्णय से उद्भूत होती है, जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 482 के अंतर्गत न्यायिक दंडाधिकारी, गया के परिवाद वाद सं. 298/2003 - टी.आर. सं. 808/2003 में 8.8.2003 की तिथि के आदेश को अभिखंडित करने की मांग करते हुए दायर याचिका को खारिज किया गया।

वाद के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि शिकायतकर्ता उमेश कुमार सिंह - जो यहाँ उत्तरदाता सं. 1 हैं, ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गया के समक्ष अपीलकर्ताओं के विरुद्ध एक शिकायत दायर की, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* यह अभिकथन किया गया कि श्रीमती राम बिराजी देवी - जो यहाँ अपीलकर्ता सं. 1 हैं, को एम.आई.जी. भूखंड सं. एम-27, जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गया में स्थित है, आवंटित किया गया था। जुलाई 2002 में, दोनों अपीलकर्ताओं ने शिकायतकर्ता के समक्ष यह अभ्यावेदन किया कि उन्हें रुपयों की सख्त आवश्यकता है और वे आवंटित भूखंड को उक्त भूखंड को खरीदने के इच्छुक किसी व्यक्ति को हस्तांतरित करना चाहते हैं। शिकायतकर्ता ने भूखंड खरीदने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की। यह अभिकथन किया गया कि पक्षकारों के बीच मौखिक रूप से सहमति हुई कि शिकायतकर्ता अपीलकर्ताओं को भूखंड की कीमत के रूप में 4 लाख रुपये की राशि का भुगतान करेगा और उक्त राशि के भुगतान पर, अपीलकर्ता शिकायतकर्ता के पक्ष में भूखंड हस्तांतरित कर देंगे।

यह भी आरोप लगाया गया कि परिवादी ने 15.7.2000 और 15.12.2002 के बीच अलग-अलग तिथियों पर भूखंड के विक्रय मूल्य के प्रतिफल के रूप में अपीलकर्ताओं को 80,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया। अपीलकर्ताओं पर यह आरोप है कि उन्होंने परिवादी से वादा किया था कि वे 15.1.2003 को परिवादी के पक्ष में एक लिखित एकरारनामा निष्पादित करेंगे, लेकिन चूंकि वे एकरारनामा निष्पादित करने में विफल रहे, इसलिए 20.1.2003 को परिवादी तीन अन्य व्यक्तियों के साथ अपीलकर्ताओं के घर गया और एकरारनामा निष्पादित करने में देरी के कारण के बारे में पूछा। अपीलकर्ताओं ने 80,000/- रुपये की स्वीकृति से साफ इंकार कर दिया और परिवादी के पक्ष में भूखंड हस्तांतरित करने से मना कर दिया। उपर्युक्त के आधार पर, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गया, के न्यायालय में अपीलकर्ताओं के विरुद्ध दिनांक रहित एक आपराधिक परिवाद दर्ज किया गया।

यह भी अभिकथन किया गया कि शिकायतकर्ता ने 15.7.2000 और 15.12.2002 के बीच विभिन्न तिथियों पर भूखंड के विक्रय मूल्य की प्रतिफल राशि के रूप में अपीलकर्ताओं को 80,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया। अपीलकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ता से यह वादा करने का अभिकथन है कि वे 15.1.2003 को शिकायतकर्ता के पक्ष में एक लिखित एकरारनामा निष्पादित करेंगे, किंतु एकरारनामा चूँकि वे 20.1.2003 को एकरारनामा निष्पादित करने में विफल रहे, इसलिए शिकायतकर्ता तीन अन्य व्यक्तियों के साथ अपीलकर्ताओं के घर गया और एकरारनामा निष्पादन में देरी के कारण के बारे में पूछताछ की। अपीलकर्ताओं ने 80,000/- रुपये स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया और शिकायतकर्ता के पक्ष में भूखंड हस्तांतरित करने से मना कर दिया। उपर्युक्त आधार पर, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गया के न्यायालय में अपीलकर्ताओं के विरुद्ध एक बिना तिथि वाली आपराधिक शिकायत दायर की गई।

अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गया ने 19.4.2003 को शिकायतकर्ता और उसके साक्षियों के कथन अभिलिखित किए और तदुपरान्त

दिनांक 8.8.2003 के आदेश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 419, 420 और 120-बी के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान लिया।

न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा संज्ञान लेने के आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने दंडाधिकारी द्वारा लिए गए संज्ञान को अभिखंडित करने की प्रार्थना करते हुए दं.प्र.सं. की धारा 482 के अंतर्गत पटना उच्च न्यायालय के समक्ष गए। उच्च न्यायालय ने दिनांक 13.1.2005 के आक्षेपित आदेश द्वारा उक्त याचिका को खारिज किया। अतः, विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील।

हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का परिशीलन किया है। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि माननीय उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि शिकायत की अंतर्वस्तु के केवल परिशीलन पर, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है और शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत अपीलकर्ता सं. 1, जिन्हें लगभग 70 वर्ष की वृद्ध महिला और हृदय रोग से पीड़ित बताया गया है, के विरुद्ध *दुर्भावनापूर्ण*, मिथ्या और तुच्छ है, जबकि अपीलकर्ता सं. 2 सुसंगत समय पर नई दिल्ली में कार्य कर रहे थे और शिकायत में जैसा अभिकथन किया गया है, घटना की दिनांक को अपनी बीमार बहन, मंजू त्रिपाठी, जो कैंसर से पीड़ित थीं, की देखभाल करने के लिए बॉम्बे गए हुए थे। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, कथित शिकायत में शामिल विवाद दीवानी प्रकृति का है और अपीलकर्ताओं द्वारा कथित रूप से किए गए किसी भी कार्य ने किसी भी आपराधिक दायित्व को जन्म नहीं दिया।

इसके विपरीत, उत्तरदाता-शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शिकायत की अंतर्वस्तु संज्ञेय अपराध के किए जाने को प्रकट करेगी और यह न्यायालय प्रारंभिक चरण पर शिकायत में किए गए अभिकथनों की विश्वसनीयता या असलियत के संबंध में जाँच शुरू करने में न्यायोचित नहीं होगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि केवल यह तथ्य कि एक विवाद दीवानी प्रकृति का है, शिकायत या प्राथमिकी को अभिखंडित करने के लिए आधार

नहीं बनाया जा सकता है। उनके अभिवचन के समर्थन में, ट्रायसंस केमिकल इंडस्ट्री बनाम राजेश अग्रवाल और अन्य, *[1999] 8* एस.सी.सी. *686* में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया गया है।

हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के संबंधित तर्कों पर अपना अत्यंत गंभीर और विचारपूर्ण ध्यान दिया है। शिकायत की अंतर्वस्तु के परीक्षण पर, हम पाते हैं कि उसमें उस अपराध को गठित करने वाला अभिकथन या प्रकथन लेशमात्र भी नहीं है जिसके लिए विद्वान दंडाधिकारी द्वारा अपीलकर्ताओं के विरुद्ध संज्ञान लिया गया है। एक ओर, शिकायतकर्ता ने स्वयं शिकायत में कहा है कि भूखंड बेचने का मौखिक एकरारनामा जुलाई 2002 में हुआ था और दूसरी ओर, उसने अभिकथन किया है कि उसने 15.7.2000 और 15.12.2002 के बीच भूखंड की खरीद के लिए प्रतिफल राशि का भुगतान करना शुरू कर दिया था। शिकायतकर्ता का वृत्तांत स्वतः-विरोधाभासी है और, इसलिए, अपीलकर्ता के विरुद्ध उन्हें कथित अपराधों के किए जाने में शामिल करते हुए कोई *प्रथम दृष्टया* वाद नहीं बनता है।

विद्वान दंडाधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि शिकायत का परिशीलन यह स्पष्ट करेगा कि पक्षकारों के बीच भूमि के विक्रय और क्रय के संबंध में एक विवाद था। हमारी राय में, भले ही शिकायत में किए गए अभिकथन सत्य और सही स्वीकार किए जाएं, अपीलकर्ताओं को छल या आपराधिक न्यासभंग का कोई अपराध किया हुआ नहीं कहा जा सकता है। न तो उन पर कोई दोषी आशय आरोपित किया जा सकता है और न ही शिकायतकर्ता को धोखा देने का उनकी ओर से कोई आशय संभवतः हो सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में और कथित अपराधों का संज्ञान लेने से पहले दंडाधिकारी द्वारा अभिलिखित शिकायतकर्ता तथा उसके साक्षियों के कथनों में अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कोई आपराधिक वाद नहीं बनता है। शिकायत के प्रकथन और दंडाधिकारी द्वारा अभिलिखित शिकायतकर्ता तथा उसके साक्षियों के कथन पक्षकारों के परस्पर दीवानी दायित्व के होंगे और अभिलेख पर सामग्री के आधार पर अपीलकर्ताओं पर कोई आपराधिक दायित्व

आरोपित नहीं किया जा सकता है। *ट्रायसंस केमिकल इंडस्ट्री वाद* (उपर्युक्त) में, जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा भरोसा किया गया है, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> "उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में प्राथमिकी या शिकायत का अभिखंडन बहुत ही अत्यधिक अपवादों तक सीमित होना चाहिए। केवल इसलिए कि एक कार्य की दीवानी प्रकृति है, इसे इसके आपराधिक रूप से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विवादों को मध्यस्थता के लिए निर्देशित करने हेतु एकरारनामा में सम्मिलित उपबंध, आपराधिक अभियोजन के लिए एक प्रभावी विकल्प नहीं है जब विवादित कार्य एक अपराध हो। मध्यस्थता, एकरारनामा के भंग से प्रभावित पक्षकार को अनुतोष प्रदान करने के लिए एक उपचार है किंतु मध्यस्थ किसी ऐसे कार्य का विचारण संचालित नहीं कर सकता जो अपराध की कोटि में आता हो, यद्यपि वही कार्य एकरारनामा के अंतर्गत किसी कृत्य के निर्वहन से संबंधित हो सकता है। अतः, उच्च न्यायालय के लिए शिकायत को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने के लिए वे अच्छे कारण नहीं हैं। अन्वेषण अभिकरण के पास अभिकथनों के संपूर्ण दायरे में जाने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए थी। ऐसे अन्वेषण का पूर्व-अतिक्रमण केवल बहुत ही अत्यधिक मामलों में न्यायोचित होगा।"

विधि की सुस्थापित प्रस्थापना के प्रति कोई असहमति नहीं हो सकती है कि उच्च न्यायालय को प्राथमिकी या शिकायत को अभिखंडित करने के लिए अत्यधिक अपवादों में अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। *ट्रायसंस केमिकल इंडस्ट्री वाद* (उपर्युक्त) में यथा-अभिधारित अनुपात वर्तमान वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में शिकायतकर्ता के लिए किसी सहायता और मदद का नहीं है। संस्थित शिकायत यह प्रकट नहीं करती है कि

धारा 420 के अंतर्गत कोई अपराध बनता है। उस पर दंडाधिकारी द्वारा अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 406/419/420 और 120-बी के अंतर्गत अपराधों के लिए लिया गया संज्ञान स्पष्ट रूप से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और न्याय के हित में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप समीचीन है। यह अत्यधिक अपवाद का एक वाद है जहाँ उच्च न्यायालय को अपीलकर्ताओं द्वारा उसके समक्ष आक्षेपित दंडाधिकारी के अनुचित और अन्यायपूर्ण आदेश को अपास्त करने के लिए अपनी अंतर्निहित अधिकारिता और शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था।

उपर्युक्त कारणों से, हम पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 13.01.2005 के आक्षेपित आदेश को, जो 2004 की आपराधिक विविध सं. 11930 में पारित किया गया है, अभिखंडित करते हैं। फलस्वरूप, शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत और परिवाद वाद सं. 298/2003 टी.आर. 808/03 में न्यायिक दंडाधिकारी, गया का दिनांक 8.8.2003 का पश्चातवर्ती आदेश, जिसके द्वारा और जिसके अंतर्गत अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 406, 419, 420, 120-बी के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है और उपर्युक्त अपराधों के लिए विचारण का सामना करने हेतु उनके विरुद्ध समन जारी किए जाने का आदेश दिया गया है, भी अभिखंडित हो जाएंगे।

अपील तदनुसार अनुज्ञात की जाती है।

एन. जे. अपील अनुज्ञात।

**खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यावहारिक, कार्यालयीय, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**